ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अति महत्त्वपूर्ण

संख्या: 18/2026/आई/1208800/2026 /16-3099/12/2019

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक: 19-01-2025**

विषयः- शैक्षणिक वर्ष 26-27 और आने वाले वर्षों के लिए हेतु प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं के लिए शैक्षिक कैलेंडर के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

शैक्षिक सत्र का नियमित और सुव्यवस्थित संचालन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ न केवल विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को सुचारू बनाता है, अपितु संपूर्ण शैक्षणिक वातावरण को अनुशासित और संगठित रखने में भी सहायक होता है। शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वे विषयों को चरणबद्ध तरीके से समझ सकें और उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास सुचारू रूप से हो सके।

2. शैक्षिक सत्र के नियमित रहने से विद्यार्थियों और शिक्षकों, दोनों के लिए समय प्रबंधन आसान हो जाता है तथा परीक्षाओं और मूल्यांकन की प्रक्रिया भी व्यवस्थित रहती है। इससे विद्यार्थियों को अपनी प्रगति के सही मूल्यांकन का अवसर मिलता है और उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय मिलता है। शैक्षिक सत्र नियमित होने से विद्यार्थी अपनी शिक्षा को समय पर पूरा कर पाते हैं, जिससे उनके समक्ष उच्च शिक्षा और कैरियर के विभिन्न अवसरों के द्वार खुलते हैं। नियमित और सुव्यवस्थित शैक्षिक सत्र एक प्रभावी शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समग्र शिक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी सिद्ध होता है और समाज में ज्ञान आधारित प्रगति को सुनिश्चित करता है।

3. ध्यातव्य है कि कोरोना महामारी के दौरान उत्पन्न कठिनाईयों के कारण शैक्षिक सत्र का नियमित संचालन प्रभावित हुआ, जिसे नियमित करने के प्रयास विगत वर्षों से किये जा रहे हैं। शैक्षिक सत्र के नियमित न होने के कारण उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु एक निश्चित कार्यावधि एवं समय सारिणी का निर्धारण किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

4. उक्त के दृष्टिगत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वार्षिक पद्धति एवं सेमेस्टर पद्धति (विषम एवं सम-सेमेस्टर) हेतु शैक्षिक सत्र 2026-27 और आने वाले वर्षों के लिए के लिए शैक्षिक कैलेंडर का निम्नवत निर्धारण किया जाता है:-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित समय - सारिणी/शैक्षिक कैलेंडर

क्रं0 सं0	कार्य विवरण	निर्धारित समयावधि (विषम सेमेस्टर)	निर्धारित समयावधि (सम सेमेस्टर)	निर्धारित समयावधि (वार्षिक परीक्षा)
1.	पठन-पाठन एवं अन्य क्रियाकलाप	01 जुलाई से 30 अक्टूबर तक	15 दिसम्बर से 15 अप्रैल तक	01 जुलाई से 20 मार्च तक
2.	नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं का पाठन-पाठन	01 जुलाई से प्रारंभ	-------	1 अगस्त से प्रारंभ
3.	नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं हेतु नामांकन आवेदन पत्र	01 अगस्त से 17 अगस्त तक	-------	20 अगस्त से 05 सितम्बर तक
4.	परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की तिथि (प्रथम, तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर)	01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक	15 फरवरी से 28 फरवरी तक	01 फरवरी से 12 फरवरी तक
5.	अनुक्रमांक आंवटन सहित नामावली ऑनलाइन जारी करने की तिथि	18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक	01 मार्च से 05 मार्च तक	01 मार्च से 05 मार्च तक
6.	ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक	25 मार्च से 30 मार्च तक	25 मार्च से 30 मार्च तक
7.	सेशनल अंको की ऑनलाइन फीडिंग प्रक्रिया	05 नवम्बर 20 नवम्बर, तक	25 अप्रैल से 05 मई तक	25 अप्रैल से 05 मई तक
8.	प्रयोगात्मक परीक्षा कार्यक्रम (परीक्षा क्रियान्वयन एवं ऑनलाइन फीडिंग)	21 नवम्बर से 05 दिसम्बर तक	11 मई से 20 मई तक	15 अप्रैल से 20 मई तक
9.	सैद्धांतिक परीक्षा	01 नवम्बर से 20 नवम्बर तक	20 अप्रैल से 10 मई तक	05 अप्रैल से 19 अप्रैल तक
10.	औद्योगिक प्रशिक्षण **(Internship)**	-----	20 मई से 30 जून तक	20 मई से 30 जून तक
11.	सेमेस्टर ब्रेक	प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 14 दिसम्बर तक	प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 30 जून तक	प्रयोगात्मक परीक्षा समाप्ति के पश्चात 30 जून तक
12.	मूल्यांकन कार्य	25 नवम्बर से 25 दिसम्बर तक	25 मई से 25 जून, तक	25 मई से 25 जून, तक
13.	परीक्षाफल	अधिकतम 31 दिसम्बर तक	अधिकतम 30 जून तक	अधिकतम 30 जून तक

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।